

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 856/2024

अनवान : -

1. दलीप पुत्र फरसाराम जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. परस पुरी उर्फ फरसाराम पुत्र चेतनपुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
2. शकरलाल पुत्र फरसाराम पुत्र चेतनपुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
3. श्यामलाल पुत्र दलीप कुमार जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
4. विनोद कुमार पुत्र दलीप कुमार जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
5. सीताराम गोस्वामी पुत्र शंकरलाल जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
6. सुरेश कुमार पुत्री शंकरलाल जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
7. कमला पुत्री परसपुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
8. शान्ति पुत्री परसपुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
9. दर्शना पुत्री परसपुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
10. द्वारका पुत्री परसपुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
11. विद्या पुत्री परसपुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0

अधि0 1955


उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: -28/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 297/303 की कुल 23.6040 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व में वादी केक पड़दादा चेतनपुरी के नाम दर्ज थी विरासनत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है। जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 जो की वादी व पतिवादी संख्या 2 व 3 की बहिने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 297/303 के ख0न0 1056/2 की 3.3016 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब काबिज है एवं ख0न0 1055 की 10.373 हैक्ट व ख0न0 250/1588 की 4.3010 हैक्ट भूमि व ख0न0 250/2 की 1.5180 हैक्ट भूमि में


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 बहिब 1/2 हिस्सा पर व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 बहिब 1/2 हिस्सा भूमि पर काबिज है तथा ख0न0 778 की 4.1112 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 अकेला काबिज है। जिसकी वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 11 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी, शपथ पत्र बाबत सदस्य आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।


परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जो की पूर्व में वादी केक पड़दादा चेतनपुरी के नाम दर्ज थी विरासनत प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई है। जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 11 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म

जात हक हिस्सा है। प्रतिवादीगण संख्या 7 ता 11 जो की वादी व पतिवादी संख्या 2 व 3 की बहिने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना समस्त हक हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 297/303 के ख0न0 1056/2 की 3.3016 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 बहिब काबिज है एवं ख0न0 1055 की 10.373 हैक्ट व ख0न0 250/1588 की 4.3010 हैक्ट भूमि व ख0न0 250/2 की 1.5180 हैक्ट भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 बहिब 1/2 हिस्सा पर व प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 बहिब 1/2 हिस्सा भूमि पर काबिज है तथा ख0न0 778 की 4.1112 हैक्ट भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 अकेला काबिज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 297/303 के ख0न0 1056/2 की 3.3016 हैक्ट भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है एवं ख0न0 1055 की 10.373 हैक्ट व ख0न0 250/1588 की 4.3010 हैक्ट भूमि व ख0न0 250/2 की 1.5180 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 को बहिब 1/2 हिस्सा का प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 बहिब 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है तथा ख0न0 778 की 4.1112 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 856/2024

अनवान : -

1. दलीप पुत्र फरसाराम जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. परस पुरी उर्फ फरसाराम पुत्र चेतनपुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
2. शंकरलाल पुत्र फरसाराम पुत्र चेतनपुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
3. श्यामलाल पुत्र दलीप कुमार जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
4. विनोद कुमार पुत्र दलीप कुमार जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
5. सीताराम गोस्वामी पुत्र शंकरलाल जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
6. सुरेश कुमार पुत्र शंकरलाल जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
7. कमला पुत्री परसपुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
8. शान्ति पुत्री परसपुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
9. दर्शना पुत्री परसपुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
10. द्वारका पुत्री परसपुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
11. विद्या पुत्री परसपुरी जाति गोसाई (गुंसाई) साकिन धानसिया तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 856 सन 2024 निर्णय दिनांक 28/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा धानसिया तहसील नोहर के खाता स0 297/303 के ख0न0 1056/2 की 3.3016 हैक्ट भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ख0न0 1055 की 10.373 हैक्ट व ख0न0 250/1588 की 4.3010 हैक्ट भूमि व ख0न0 250/2 की 1.5180 हैक्ट भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 को बहिब 1/2 हिस्सा का प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 बहिब 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ख0न0 778 की 4.1112 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर